242/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर अहलकार की तामील
20/9/2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। सुनवाई के आदेशानुसार विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही जारी की जाती है वकील प्रार्थी को बहस सुनी गई। दौराने बहस तर्क दिये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थिडुआ तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 1509/19 रकबा 1.0036 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर [illegible] कब्जा-काश्त चला आ रहा [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि के [illegible] प्रार्थी पक्ष [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी [illegible] कोशिश करते रहते हैं। [illegible] हुये एक राय होकर विपक्षी [illegible] प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से हमला किया [illegible] प्रार्थी की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। जिस पर प्रार्थी द्वारा पुलिस विभाग में भी परिवाद पेश करवाया गया। अपनी बहस को [illegible] रखते हुए आगे और प्रार्थना किया कि उपरोक्त स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विवादित भूमि पर यथास्थिति आदेश जारी कर विपक्षी पक्ष को पाबन्द किया जावे, कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी	Rajendra

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:13:25 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नहीं करें, न अन्य किसी से कराने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकर्ड का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया, जिससे पाया कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है, और रिकार्ड खातेदार की भूमि में यदि विपक्षी पक्ष द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में ख्वामख्वाह अवैध मौका [illegible] है, तो प्रार्थी स्थिति में [illegible] और वाद को अपूरणीय [illegible] कानूनी पेचीदगियां की [illegible] स्थगन आदेश करेंगी। ऐसी [illegible] उचित प्रतीत होता ज्यादा [illegible] की कायवाइ है एवं विपक्षी [illegible] के इच्छित कार्यवाही नहीं हुई [illegible] विवेचन उपरांत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी का आवेदन अंतरिम रूप से स्वीकार किया। ध्यारा ग्राम खिङ्जा तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 1509/19 रकबा 1.0036 हेक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षी संख्या 01 से 6 को जरिये स्थगन आदेश से मुकदमे के निर्णय तक पाबंद किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] प्रकार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:13:25 IST
Reason: SelfAttested